102

संख्या : /I/2016-03/06/2014

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–01 **देहरादून : दिनांक : 07 सितम्बर, 2016**

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना के अन्तर्गत सोलर थर्मल कार्यक्रम हेतु प्राविधानित रू0 20.00 लाख के सापेक्ष रू0 19,99,835.00 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1276 दिनांक 05.08.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा 1217 डिश टाईप सोलर कुकर लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु केन्द्रांश के रूप में 60 प्रतिशत अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त 25 प्रतिशत धनराशि राज्यांश के रूप में वहन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1217 डिश टाईप सोलर कुकर की एल–1 की दरों के उपरान्त कुल लागत रू0 79,99,341.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ राज्यांश के रूप में कुल रू0 19,99,835.00 **(रू0 उन्नीस लाख निन्यानबे हजार आठ सौ पैंतीस मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	कुकर का नाम	कुकर की संख्या एवं दर	एल–1 की दरों के उपरान्त कुल लागत	केन्द्रांश 60 प्रतिशत	लाभार्थी अंश	राज्यांश 25 प्रतिशत	प्र0वि0 की लागत के सापेक्ष कुल राज्यांश की मांग
01	डिश टाइप	1217@6573.00	रू0 79,99,341.00	रू0 4799604.00	रू0 1199901.00	रू0 1999835.00	रू0 1999835.00

(I) उक्त राज्यांश की धनराशि का आहरण किश्तवार किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त प्रथम किश्त 30 प्रतिशत केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 6,00,000.00 का आहरण किया जाय तथा भारत सरकार से अवशेष केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही समय–समय पर राज्यांश आहरित किया जाय।

(II) योजना के लिए आबंटित धनराशि तभी एवं उसी मात्रा में आहरित कर व्यय की जायेगी जहां जैसा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अनुदान/सब्सिडी दिये जाने को अनुमन्य किया गया हो, अन्यथा धनराशि आहरित/व्यय नहीं की जायेगी।

क्रमशः ——

(III) स्वीकृत धनराशि का बिल निदेशक, उरेडा द्वारा तैयार कर सहायक विद्युत निरीक्षक, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित के उपरान्त देहरादून कोषागार में आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, उरेडा द्वारा सम्बन्धित जिलों को धनराशि प्रेषित की जायेगी एवं जनपदवार प्रेषित की गई धनराशि की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि आहरण कर उसे 31–03–2017 तक व्यय कर लिया जायेगा एवं अनावश्यक रूप से धनराशि को बैंकों में पार्किंग कर नहीं रखा जायेगा।

(IV) व्यय करने से पूर्व बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008, शासन के मितव्ययता विषयक आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(V) केन्द्र पोषित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं राज्य सरकार को भी समयबद्ध रूप से प्रेषित किया जायेगा।

(VI) व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(VII) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रम प्रभारी/अधिकारी तथा निर्माण एजेन्सी/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(VIII) योजनान्तर्गत सम्बन्धित योजना हेतु केन्द्रांश की प्राप्ति भी समय से कर ली जायेगी तथा योजना/कार्यवार प्राप्त केन्द्रांश का विवरण तथा तद्क्रम में प्रत्येक योजना/कार्यवार कुल लागत/ व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय किये गये केन्द्रांश व राज्यांश का विवरण भी शासन में वित्त विभाग को समय से प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(IX) उक्त योजना पर उक्त धनराशि राज्यांश के विपरीत अवमुक्त की जा रही है और अवमुक्त राज्यांश तब ही व्यय किया जाएगा, जब केन्द्र सरकार अपने अंश के विपरीत धनराशि अवमुक्त कर देगी अथवा स्वीकृत कर देगी। केन्द्र पोषित योजनाओं में धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। जिन योजनाओं में केन्द्रांश प्राप्त होता है उनके सापेक्ष केन्द्रांश अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

(X) उक्त योजनाओं के सापेक्ष अगली किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व योजनावार उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय एवं कार्य स्थल पर भौतिक प्रगति का प्रमाण पत्र तथा भारत सरकार एवं आर.ई. सी. से अवशेष केन्द्रांश/ऋण प्राप्त किये जाने सम्बन्धी प्रमाणित अभिलेख शासन को त्रैमासिक उपलब्ध कराया जाय। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाईट पर व सूचना का अधिकार निर्देशिका में भी प्रकाशित की जायेगी।

(XI) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(XII) स्वीकृत की गई धनराशि व्यय करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना में लाभार्थी अंश की व्यवस्था कर ली गई हो तथा राज्यांश सहित सभी स्रोतों से व्यय धनराशि परिव्यय एवं लागत की सीमान्तर्गत हो।

(XIII) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–21 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा –02 –सोलर इनर्जी–101–सोलर थर्मल कार्यक्रम–03–सोलर इनर्जी कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः ---

2– यह आदेश वित्त विभाग शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26.07.2016 में दिये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 632 /I/2016-03/06/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग।
5– विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी।
6– सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, देहरादून।
6– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
7– सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड शासन/एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।